न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
पीठासीन अधिकारी–श्री जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या 133/2018

श्रीमति सुमन बनाम श्रीमति घीसी व अन्य
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी जो मूल वाद संख्या 133/2018 पर प्रस्तुत हुआ है।

आदेश दिनांकः– 11-09-19

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 अपने जवाबदावे के हक को सुरक्षित रखते हुये वादिया का दावा मियाद बाहर होने के कारण कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादिया द्वारा अपने दावे में प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार वादग्रस्त भूमियो को वादिया व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजीयात बतलाई गई है, उन भूमियो में वादिया को रामा की पुत्री व प्रतिवादी संख्या 1 को स्व0 रामा जी की पत्नि होना बताया है और वादिया द्वारा स्वीकार किया गया है कि वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमियो में जो हिस्सा निहित है उस हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 ने बर वक्त बेचान वादिया की उम्र 17 साल नाबालिग होना जरिये अपनी माता व प्राकृतिक सरंक्षका श्रीमति घीसी बैवा रामा जी निवासी भोजपुरा एंव श्रीमति घीसी उम्र 48 साल पत्नि रामा जी निवासी भोजपुरा के द्वारा वादग्रस्त भूमियो में एन्टायर हिस्से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 17.04.2008 के प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति चन्द्रीदेवी के हक में बेचान करना स्वीकार किया है तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत बेचाननामे में श्रीमति घीसी द्वारा अपनी अवयस्क पुत्री कुमारी सुमन के भरण, पोषण, शिक्षा, दिक्षा व अन्य सामाजिक संस्कारो के निष्पादन हेतु अपनी निजी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतू रकम की जरूरत है, तथा उसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है, इसलिये बेचान करना स्वीकार किया है। वादिया ने अपने वाद में वादिया व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक सम्पत्तियां होना स्वीकार किया है, उक्त भूमियो पर स्व0 रामा के समय से ही संयुक्त खातेदारी एंव संयुक्त कब्जे की सम्पत्ति होना बताया है, इसलिये कानूनन हिन्दु माईनर एण्ड मेजर एक्ट के प्रावधान तथा गार्जीयन एण्ड वार्डस एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है। इसलिये उक्त बेचाननामे के आधार पर जो दाखिल खारिज होना बताया है, वह स्वतः सही व वैद्यानिक है। तथा वादिया ने जो अपने दावे में अनुतोष चाहा है, वह अनुतोष मियाद बाहर हो चुका है क्योकि वादिया ने जो अपनी नाबालिग उम्र 17 साल में उसके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा हिस्सा बेचना बताया है उस बेचान व परिणामस्वरूप हुये बख्शीशनामे व उसके आधार पर खोले गये नामान्तकरणो कानून की दृष्टि में वोईडेबल बेचान और बख्शीशनामे है, जिनको वादिया अपने बालिग होने के बाद 3 साल की अवधि में ही चुनौती दे सकती थी जबकि तथाकथित बेचाननामा दिनांक 17.04.2008 का है, तथा बख्शीशनामा भी सन् 2014 का है, और उसका दाखिल खारीज भी दिनांक 28.11.2014 को खोला गया है। तब से 3 साल के भीतर भीतर दावा कर चुनौती दे सकती थी जिसकी अवधि निकल चुकी है। जबकि दावा सितम्बर 2018 में प्रस्तुत किया गया है, जो दावे के ऐवरमेंट के अनुसार मियाद बाहर है। इसलिये दावा बार्ड बॉई लॉ और बिना क्षैत्राधिकार के किया हुआ होने के कारण से सरसरी तोर से निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमियो में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम है, इसलिये गार्जीयन एण्ड वार्डस एक्ट एवं

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

माईनोरेटी एण्ड गार्जीयनसिप एक्ट के प्रावधान लागू भी नही होते है, इसलिये भी दावा मियाद बाहर है। विवादित जमीन जो लिगल नेसेसीटी के आधार पर वेची गई है, वह बेचाननामे भी वोईडेबल बेचाननामे माने जायेंगे इसलिये उसका क्षैत्राधिकार भी इस राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल कोर्ट को ही है। तथा वादीया का वाद मियाद बाहर होने के कारण से उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अतः वादीया का सम्पूर्ण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानो के तहत सरसरी तौर से खारीज किये जाने योग्य है।

वादिया ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद व आवेदन पत्र कथित बेचाननामा की जानकारी से मियाद के अन्दर है, अलावा इसके मियाद का बिन्दु साक्ष्य व विधि का मिश्रित बिन्दु है, जो साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही तय किया जा सकेगा। श्रीमति घीसी पत्नि रामा जी को प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजी बेचान करने का कोई हक व अधिकार किसी भी प्रकार से नही था व यदि बेचान करना लाजमी था तो उसे सक्षम न्यायालय से इजाजत लेकर ही बेच सकती थी अतएव कथित बेचाननामा बिना किसी अधिकार व इजाजत के निष्पादित किया गया है, जो शुरू से ही ऐब–इन्श्यिो–वाईड दस्तावेज है जिससे प्रार्थीया पाबंद नही है। प्रस्तुत प्रकरण में जिन विधियो का हवाला दिया गया है, वे पूर्णतया इस प्रकरण पर लागू होते है। बेचाननामे एंव बख्शीशनामे के आधार पर खोले गये नामान्तकरण भी अवेध होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी संख्या 1 ने आदेशात्मक प्रावधानो की पालना नही की है, एंव प्रतिवादी संख्या 1 को कथित बेचान दिनांक 17.04.2008 को कोई रकम की आवश्यकता नही थी व बिना इजाजत सक्षम न्यायालय ऐसे बेचान से बख्शीश व नामान्तकरण से वादीया पाबंद नही है। प्रस्तुत वाद में अंकित कथनो से मियाद के अन्दर है, माननीय न्यायालय ने वाद अन्दर मियाद मानकर दर्ज रजिस्टर किया है, व मियाद के बिन्दु पर वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दवानी रिजेक्ट नही किया जा सकता है। कथित बेचाननामा वादीया के प्रति शुरू से ही वोईड दस्तावेज है, जिसकी घोषणा किये जाने का क्षैत्राधिकार धारा 88 राज0काश्त0अधि0 माननीय न्यायालय को ही है, इसके अलावा भी माननीय न्यायालय स्वंय ने क्षैत्राधिकार होना मानकर न केवल दर्ज किया है, बल्कि प्रतिवादीगण की तलबी भी की है। प्रस्तुत प्रकरण में वाद कारण उत्पन्न होने से ही वाद प्रस्तुत किया है, अतः इस आधार पर व मियाद के बिन्दु पर वाद निरस्त नही किया जा सकता है। माननीय न्यायालय के समक्ष मौजुद आवेदन पत्र के अवलोकन मात्र से ही मौजुदा वाद किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के परव्यु में नही आता है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई जिसमें वकील प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये वादिया का वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत खारीज करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2019 डी0एन0जे0 पेज 337 सुप्रीम कोर्ट, 2018 (2) सी0सी0सी0 पेज 07 उडीसा, 2017 (sup.) T&A पेज 448 डी0बी0 प्रस्तुत किये गये।

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

वकील वादिया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायिक दृष्टांत 2009 (1) डी0एन0जे0 पेज 231 राज0, 2014 (1) डी0एन0जे0 पेज 432 राज0, 2001 आर0आर0डी0 पेज 160, 2014 (4) डी0एन0जे0 पेज 1461 राज0, 2011 (3) डी0एन0जे0 पेज 1066 राज0 प्रस्तुत की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया तो पाया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर की वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 312, 314, 315, 316, 322, 275 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को लेकर प्रस्तुत किया गया है। ग्राम भोजपुरा की जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खाता संख्या 93 में अंकित खसरा संख्या 312 अन्य सहखातेदारान के साथ रामा वल्द अन्ना व मु. मूमी बेवा अन्ना दर्ज है एवं इसी जमाबन्दी में जरिए विरासती नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 05.04.2008 से मृतक मूमी बेवा अन्ना व रामा वल्द अन्ना के स्थान पर अन्य सहखातेदारान के साथ घीसी बेवा रामा सुमन ना.बा. पुत्री रामा दर्ज होना पाया गया है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2060–63 के खाता संख्या 118 में अंकित खसरा संख्या 314, 315, 316, 322 में अन्य सहखातेदारान के साथ रामा वल्द अन्ना व मु. मूमी बेवा अन्ना दर्ज है एवं इसी जमाबन्दी में जरिए विरासती नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 05.04.2008 से मृतक मूमी बेवा अन्ना व रामा वल्द अन्ना के स्थान पर अन्य सहखातेदारान के साथ घीसी बेवा रामा सुमन ना.बा. पुत्री रामा दर्ज होना पाया गया है। उक्त दोनों जमाबन्दियों में घीसी बेवा रामा, सुमन ना.बा. पुत्री रामा द्वारा अपने हक हिस्से की भूमियों का बेचान किये जाने का नामान्तरकरण का नोट संख्या 405 दिनांक 06.05.2008 दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खाता संख्या 120 में खसरा संख्या 275 बाबत् भी घीसी बेवा रामा, सुमन नाबा. पुत्री रामा द्वारा बेचान किये जाने का नामान्तकरण नोट अंकित है। पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 17.03.2008 के अनुसार घीसी पत्नि स्व. रामा उम्र 48 साल एवं कुमारी सुमन आयु 17 साल अवयस्क पुत्री स्व. रामा द्वारा वादग्रस्त खसरान् में स्वयं के चले आ रहे हक हिस्से का बेचान किया जाना अंकित पाया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि श्रीमती घीसी को अपनी अवयस्क पुत्री कुमारी सुमन के भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा व अन्य सामाजिक संस्कारों के निष्पादन हेतु तथा अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रकम की जरूरत है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं क्योंकि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत लिमिटेशन एक्ट को लेकर प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें डीएनजे 2019 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 337 में उल्लेखित किया गया है कि "Plaint can be rejected under order 7 rule 11 C.P.C. if it is clearly barred by limitation." इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टांन्त 2018 (2) सी.सी.सी. 007 (उडीसा हाई कोर्ट) ने लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टिकल 60 हिन्दु माइनोरिटी एण्ड गार्जिनशिप एक्ट 1956, एस. 8 (2) में स्पष्ट अंकित किया है कि " Sale of property of minor by his mother for his benefit- suit to challenge alienation filed by minor long after 3 years of attaining majority – Suit is barred by limitation and hit by Art.60 of the Act- Suit dismissed." जो प्रार्थना पत्र की मौजूदा परिस्थिति का समर्थन करते हैं

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

वादिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण की मौजूदा स्थिति एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की स्थिति पर किसी भी प्रकार से चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार, समर्पण पत्र के निरस्तीकरण हेतु रा.का.अधि. की धारा 58 के अन्तर्गत नहीं आने, जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के बिन्दु को लेकर, तथ्य संबंधी प्रश्न को लेकर प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रकरण की मौजूदा स्थिति पर कत्तई लागू नहीं होते हैं।

उक्त वादपत्र में वर्णित बिन्दुओं, प्रार्थना पत्र पर किए गए विवेचन एवं बहस में दिये गये तर्को तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तहत प्रस्तुत प्रकरण वादिया के बालिग होने के 3 साल की अवधि के भीतर ही लाया जा सकता था जो नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं कर बालिग होने के भी 10 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जो बेचाननामा, बख्शीशनामा, नामान्तकरण रद्द व निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वादपत्र विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाने से बार्ड बाई लॉ है तथा इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार मे भी नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वादिया का वादपत्र खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 11-09-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 15:47:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: